न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—110/2010 (2010/00077) वाद पत्र

उनवान

1—शंकरलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भैरूलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—बंशीलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नंदलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—युगल पुत्री प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—धर्मेश पिता प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—उमा पुत्री प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये काका नन्दलाल आत्मज गुलाब कलाल नि.बोराणा तह. रायपुर
8—दीपक पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि.जरिये काका नन्दलाल आत्मज गुलाब कलाल नि.बोराणा तह.रायपुर
9—मोनु पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये नन्दलाल आत्मज गुलाब कलाल नि.बोराणा तह. रायपुर

वादीगण

बनाम

1—भंवरलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—बाबुलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—सुनिल कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2/2—राजेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3—पुष्पादेवी पत्नि बाबु लाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4—यश पिता गणपतलाल ना.बा.बे.वि. जरिये माता रेखा पत्नि गणपत लाल नि.रायपुर तह. रायपुर
2/5—भाविका पुत्री गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/6—रेखा पत्नि गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कंचनबाई पत्नि रामचन्द्र टांक निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसंमद
4—शांतादेवी पत्नि बालस्वरूप टांक निवासी रायला जिला भीलवाड़ा
5—संतोषदेवी पत्नि अम्बालाल टांक निवासी कलाल वाटिका, राजनगर जिला राजसंमद
6—मुन्नीदेवी पत्नि मांगीलाल टांक निवासी रलवे स्टेशन कांकरोली जिला राजंसमद
7—बाबुलाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—शोभालाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादीगण अधिवक्ता
2. हरीश टेलर — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—31.05.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण संख्या एक से चार के पिता एवं वादी सं. पांच से नो के [illegible] स्व. गुलाब जी कलाल व प्रतिवादी संख्या एक से छह के पिता कस्तुर जी कलाल सगे भाई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से छह एक ही वंशज के होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। वादीगण के पूर्वज [illegible] जी व प्रतिवादी संख्या एक से छह के पिता कस्तुर के सामलाती खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 701 रकबा एक बीघा, 704 रकबा एक बीघा सात बिस्वा, 706 रकबा एक बीघा एक बिस्वा, 993 रकबा 8 बिस्वा, 994 रकबा 19 बिस्वा, 996 रकबा 13 बिस्वा, 1007 रकबा एक बीघा 19 बिस्वा, 1008

रकबा एक बीघा 9 बिस्वा, 1011 रकबा एक बीघा दस बिस्वा, 1012 रकबा 14 बिस्वा, 1013 रकबा दो बीघा एक बिस्वा, 1014 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा भुमि संवत 2014 से 2017 की जमाबंदी मे दर्ज रेकार्ड है जिसमे वादीगण के पूर्वज गुलाब का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण के पिता कस्तुर का 1/2 हिस्सा था तथा गुलाब व कस्तुर अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व चाह संख्या 699 रकबा 3 बिस्वा चाह संख्या 1009 रकबा 2 बिस्वा मे गुलाब, कस्तुर आत्मज दलीचन्द का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड होकर अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण के पूर्वज गुलाब जी व प्रतिवादीगण के पिता कस्तुर जो द्वारा सामलाती रूप से संवत 2019 में आराजी संख्या 989 रकबा दो बीघा आठ बिस्वा 990 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि क्रय की जिसका इन्द्राज संवत 2019 से 2021 को जमाबंदी मे दर्ज रेकार्ड है परन्तु प्रतिवादी एक भंवरलाल व उसके पिता कस्तुर द्वारा 23.6.54 को तारीख का एक फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर उस पर वादीगण के पूर्वज गुलाब जो की फर्जी अगुठा निशानी कर संवत 2018 में साबिक आराजी संख्या–701 रकबा एक बीघा, 704 रकबा एक बीघा 7 बिस्वा, 706 रकबा एक बीघा एक बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा व चाह संख्या 699 रकबा 3 बिस्वा चाह संख्या 1009 रकबा 2 बिस्वा का इन्तकाल रेवेन्यू एजेन्सी व ग्राम पंचायत से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा दिया जब कि न तो गुलाब जो द्वारा आराजी संख्या 701, 704, 706 मे से अपने 1/2 हिस्से का विक्रय भवरलाल को किया गया व न ही साबिक चाह संख्या 699 व 1009 मे से अपने 1/4 हिस्से का विक्रय भवरलाल को किया गया। वादीगण के पूर्वज गुलाबजी अपने 1/2 हिस्से को आराजियात व चाह पर वर्षों से काबिज हो उसका उपयोग उपयोग करते चले आ रहे है व गुलाबजी की मृत्यु के पश्चात से वादीगण अपने 1/2 हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है व चाह के अपने 1/4 हिस्से का उपयोग उपभोग निरन्तर करते आ रहे है। भवरलाल द्वारा फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर इन्तकाल संख्या 237 दिनांक 5.3.62 अपने नाम दर्ज करवाने की जानकारी भवरलाल द्वारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश करने से वादीगण को हुई है। इन्तकाल की प्रमाणित प्रति व संवत 2019 से 2021 को जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश हे। इन्तकाल की पृष्ठ भाग पर गुलाब जो की जो अगुठा निशानी लगाई गई वो भी फर्जी है। प्रतिवादी भवरलाल द्वारा तैयार किया गया तथा कथित फर्जी पत्र दिनाक 23.6.54 को मूल प्रति प्रतिवादी के पास है जिसे न्यायालय में तलब फरमाया जाए, उक्त विक्रय पत्र पर फर्जी अगुठा निशानी की गई है। इस प्रकार प्रतिवादी व उसके पिता कस्तुर द्वारा तैयार किये गये फर्जी पत्र से प्रतिवादी भवरलाल को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है व विक्रय पत्र शुरू से ही नल एण्ड वोईड है। वादग्रस्त आराजियात व चाह वादीगण का मोरूसी है व उसमे हम वादीगण का जन्म से अधिकार है। वादग्रस्त आरा[illegible]र वादीगण हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपयोग करते आ[illegible] में हमारे 1/2 हिस्से व चाहे के 1/4 हिस्से को घोषणा कर[illegible]दी भवरलाल द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर आराजी संख्या 701, 704, 706 [illegible]नाम दर्ज करवा अलग खाता खुलवा लिया जिसकी जानकारी गुलाब जी अनपढ़ होने व वादीगण नाबालिग होने से नही हो सकी जब कि मौके पर वादीगण उक्त आराजियात पर अपने 1/2 हिस्से पर काबिज हो करीब 50 वर्षों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

काश्त करते चले जा रहे है जिससे वादीगण का उक्त आराजियात पर एडवर्स पजेशन हो चुका है जिससे भी वादीगण द्वारा उक्त आराजियात का 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। भंवरलाल द्वारा उक्त आराजियात को फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करवाने के बाद व गुलाब, कस्तुर आत्मज दलीचन्द द्वारा सामलाती रूप से आराजी संख्या 989 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा तथा आराजी संख्या 990 रकबा 18 बिस्वा क्रय करने के बाद गुलाब, कस्तुर के खाते में कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भुमि शेष बची, जिसमें स्व. गुलाब का 1/2 हिस्सा था, जिस पर गुलाबजी काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे व उसके बाद से वादीगण अपने 1/2 हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने से साबिक आराजी संख्या के नवीन आराजी संख्या 1909 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1912 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 1914 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 2544 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2543 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2541 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2540 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2553 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 2554 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 2560 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2561 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2562 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2563 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 2564 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2565 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2566 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 1907 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2555 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2531 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 2532 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 2535 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2536 रकबा 0.10 है0 कायम किये गये। नवीन आराजी संख्या 2554 रकबा 0.32 है0 भूमि वादीगण के हिस्से की है तथा वादीगण ही काश्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी भंवरलाल के द्वारा फर्जी तरीके से बंटवारा करा कर वादीगण के हिस्से में 1/2 हिस्से से कम भूमि रखी व नवीन आराजी संख्या 2554 को अपने नाम दर्ज करवा दी जबकि उक्त आराजी वादीगण के हिस्से में आनी चाहिये थी। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 7 में अकिंत कृषि आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा चाह में 1/4 हिस्सा व वादपत्र की कलम संख्या 8 में अकिंत कृषि आराजियात तन्हा वादीगण के हिस्से की है तदानुसार डिक्री फरमाई जावे। साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से में तथा चाह के 1/4 हिस्से के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दंखलदांजी से न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजियात व चाह को प्रतिवादीगण किसी अन्य को रहन बय, बक्षीस नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण [illegible] 08.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी [illegible] में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रा[illegible] किया गया व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने [illegible] की गई तथा प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से पत्रावली पर राजपक्ष प्रभावित नही होने से जवाब की आवश्यकता नही होने का अंकन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि वादीगण के पूर्वज गुलाब जी ने अपने जीवनकाल में ही सं० साबिक 701 704, 706 में निहित उनका 1/2 हिस्सा पूर्व में ही विक्रय कर दिया तथा आराजी संख्या 1009 व 699 में निहित अपने हिस्से को भी प्रतिवादी भवरलाल को विक्रय कर दिया आराजी सं0 701, 704, व 706 को वादीगण के पूर्वज गुलाब जी व प्रतिवादीगण के पिता कस्तूर जी ने बिल एवज 95/ रुपये में संवत 2011 आषाढ़ सुद 7 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया इस लिये इन आराजीयात व आराजी चाह सं0 1009 व 699 में वादीगण का कोई हक नहीं है न ही उनका कब्जा है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा होना और उसी अनुरूप कब्जा होने का तथ्य गलत अकिंत किया गया। प्रतिवादी भंवरलाल ने या उसके पिता ने कोई फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया और दिनांक 23.6.54 को कोई दस्तावेज फर्जी तैयार नहीं किया न उस पर गुलाब जी की फर्जी निशानी की बल्कि प्रतिवादी गण के पिता कस्तुरचन्द जी व गुलाब जी स्वंतत्र इच्छा पूर्ण विवेक और विधिपूर्ण तरीके से इन भूमियों को प्रतिवादी भंवरलाल पिता कस्तूरचन्द को विक्रय कर बिकावनामा तरतीब दे दिया। प्रतिवादी भंवर लाल ने ग्राम पंचायत से मिल कर गलत रूप से नामान्तकरण फैसल नही करवा पूर्ण कानूनी तरीके से भूमियो का नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया है। वादीगण द्वारा यह अंकित करना कि भंवर लाल द्वारा खरीदी गई उक्त भूमियों पर भी उनका कब्जा है सरासर गलत है। वादीगण के पिता के जीवन काल से ही उनके द्वारा विक्रय की गई भूमि पर तन्हा भंवर लाल का कब्जे और शेष आरजीयात पर राजस्व रेकार्ड में अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे थे और वर्षों पूर्व आराजीयात का विभाजन होकर ही खाते भी पृथक पृथक हो चुके है। और इन सभी तथ्यो की जानकारी वादीगण को शुरू से ही है। गुलाब व कस्तुर चन्द से प्रतिवादी भंवरलाल के पक्ष में विक्रय पत्र लिपीबद्व किया और उसके बाद भी गुलाबचन्दजी ने आराजी संख्या 1007 व 1011 जिसमें कुआं 1009 के पिवल के हक समेत आराजियात में निहित अपने हक हिस्से को प्रतिवादी के पिता कस्तुरचन्द को बिल एवज 2000/— रूपये में विक्रय कर रजिस्ट्री करवा दी तब से उक्त आराजिया त पर भी पहले व उसके बाद प्रतिवादीगण 1 व 2 का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। इसलिये गुलाबचन्दजी के द्वारा कोई फर्जी खत लिखवा लेने की बात सर्वथा मनगंढत और गलत है। प्रतिवादी भवंरलाल द्वारा कयशुदा आराजी संख्या 701, 704, 706 का खाता फर्जी नही खुला कर वैध दसतावेज के आधार पर कानूनी रूप से फैसल करवाया है जिसकी जानकारी वादीगणो को भी है। मौके पर विक्रय की गई आराजी पर वादीगण का कोई हक अधिकार नही है और न ही काबिज है। वादवर्णित आराजियात वर्षो पूर्व बंटवारा हो चुका है और उसी अनुसार काबिज है। पंचायत ने जो इंन्तकाल फैसल किया है वो विधिपूर्वक किया है जिसमें प्रतिवादी भवंरलाल का कोई हस्तक्षेप नही है। वादवर्णित भूमियो पर वादीगण का कोई कब्जा [illegible] आराजी चाह संख्या 1907 व 2555 पर भी वादीगण का कोई हिस्सा [illegible] आराजी संख्या 2554 के खातेदार अधिकार घोषित कराने के अधिकारी नही है। [illegible] कथन में अकंन किया कि वादग्रस्त आराजियात का बंटवाड़ा अरसा करीब [illegible] है और अलग अलग खाते में भूमियां दर्ज होकर अलग अलग काबिज है इसलिये वाद अवधि बाधित है। प्रतिवादीगण ने लाखो रूपये खर्च कर भूमियों को आबाद किया है और अब उनकी किमत बढ़ जाने से विक्रय की गई भूमियो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

में अपना हक कायम कराना चाहते है जिससे प्रेरित होकर यह झुठा वाद पेश किया है जो खारीज किये जाने योग्य है।

वाद और प्रतिवाद के आधार पर तनकियात कायम की गई जो निम्न है।

1. आया कि वादपत्र की कलम संख्या 7 में वर्णित आराजियात का 1/2 हिस्सा व चाह में 1/4 हिस्सा व वादपत्र की कलम संख्या 8 मे वर्णित कृषि आराजियात का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा फर्जी विक्रय पत्र तैयार कर उसके नाम दर्ज करवा ली वह विक्रय पत्र नल एण्ड वोयड होकर उक्त भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

2. आया कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी भी जारी करवाने का अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

3. अनुतोष ?

उक्त तनकियात कायम करने के बाद उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया कि प्रकरण काफी पुराना है और साक्ष्य मे चल रहा है। इस प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में लिया जाकर प्रकरण को निस्तारण किया जावे जिस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण को चिन्हित कर दोनो पक्षो को लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया जिस पर दोनो पक्ष की ओर से मुख्य मुख्य प्रतिनिधि उपस्थित होकर निवेदन किया कि दोनो पक्षो के आपस में मनमुटाव होने से बोलचाल नही है। दोनो पक्षो की ओर से वादवर्णित आराजियात के सम्बन्ध में जो भी दस्तावेज उपलब्ध है वो पत्रावली में पेश कर रखे है। वादवर्णित भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर न्यायालय उचित निर्णय पारित करे उसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष एवं अधिवक्ताओ के अनुसार वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से ली गई जो शामिल पत्रावली है। नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि राजस्व ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 1909, 1912, 1914 किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 भूमि पर मौके पर भंवरलाल, बाबुलाल पिता कस्तुरचन्द काबिज होकर लहसुन आधे भाग में काश्त है। आराजी संख्या 1907 गै. मु. चाह है जो मौके पर बाबुलाल, शोभालाल, सत्यनारायण, प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल 1/2 भाग पर एवं भंवरलाल बाबुलाल पिता कस्तुरचन्द 1/2 द्वारा कुएं में पानी के अभाव होने से उपयोग में नही आ रहा है एवं आराजी संख्या 2555 गै.मु. चाह शंकरलाल, भैरूलाल, बंशीलाल, नन्दलाल पिता गुलाबचन्द धर्मेश पिता प्यारचन्द 1/4 भवंरलाल, बाबुलाल पिता कस्तुर 1/4 बाबुलाल शोभालाल सत्यनारायण, प्रकाशचन्द्र पिता सोहनलाल 1/2 मौके पर इनके द्वारा कुएं का उपयोग किया जा रहा है एवं आराजी संख्या 2553, 2554, 2560, 2559, 2561 भंवरलाल बाबुलाल पिता कस्तुरचन्द काबिज पाये गयें।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रा[illegible]लब्ध रेकार्ड एवं नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट [illegible] पाया कि प्रकरण में मुख्य विवाद साबिक आराजी संख्या 699 रकबा 3 [illegible] रकबा 2 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर 1907 रकबा 0.03 है0 व 2555 रकबा [illegible] संख्या 2554 रकबा 0.32 है0 को वादीगण अपने नाम दर्ज कराना चाहते है जबकि आराजी संख्या 1907 एवं 2555 में वादीगण के पिता गुलाब के द्वारा दिनांक 23.06.1954 को प्रतिवादीगण भंवरलाल पिता कस्तुरचन्द को विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

की गई है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण के स्वामित्व की है और विक्रय पत्र के अनुसार केता प्रतिवादी के पक्ष में नामान्तकरण भी हो चुका था किन्तु आगामी जमाबन्दी में चाह की भूमि पुनः विक्रेता के नाम दर्ज कर दी गई और अन्य आराजियात वादीगण के नाम दर्ज हुई है। इसके अतिरिक्त नवीन आराजी संख्या 2554 रकबा 0.32 है0 भूमि जिसके साबिक नम्बर 1008 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा थे जो साबिक रेकार्ड में गुलाब कस्तुर पिता दल्लीचन्द के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो वादीगण और प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम शामलाती खाते में दर्ज थी। उक्त भूमि शामलाती होने से वादीगण व प्रतिवादीगणो के मध्य जरिये नामान्तकरण संख्या 803 दिनांक 27.02.1973 से आपसी विभाजन हुआ जिसमें अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 1008 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 1 व 2 के पिता कस्तुरचन्द पिता दल्लीचन्द के हिस्से में रही जिससे उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता कस्तुरजी के नाम विभाजन से दर्ज हुई। नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा विवादित आराजी संख्या 2554 की मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें आराजी संख्या 2553, 2554, 2560, 2561 पर कब्जा भंवरलाल बाबुलाल पिता कस्तुरचन्द का पाया गया और राजस्व रेकार्ड में भी उक्त खसरा नम्बरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है, साथ ही साबिक आराजी संख्या 701, 704, 706 जिसके नवीन नम्बर 1909, 1912, 1914 दर्ज हुए जो भी प्रतिवादी क्रेता भंवरलाल के ही नाम दर्ज होकर कब्जा क्रेता है। ऐसी स्थिति में रेकार्ड और मौके में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नही है। उसके अतिरिक्त वादीगणो के द्वारा विभाजन एवं विक्रय के नामान्तकरण काफी वर्षो पूर्व हो चुके थे और उक्त दोनो नामान्तकरणो में वादीगणो के पिता के अगुष्ठ निशानी है जिसको अवैधानिक नही कहा जा सकता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादीगणो के द्वारा प्रस्तुत वाद रेकार्ड और मौके के विपरीत होने से स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् रेकार्ड और मौके के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

31-05-2022
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–110/2010 (2010/00077) वाद पत्र

उनवान

1–शंकरलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भैरूलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–बंशीलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–नंदलाल पिता गुलाब कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–युगल पुत्री प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–धर्मेश पिता प्यारचन्द कलाल निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–उमा पुत्री प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये काका नन्दलाल आत्मज गुलाब कलाल नि.बोराणा तह. रायपुर
8–दीपक पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि.जरिये काका नन्दलाल आत्मज गुलाब कलाल नि.बोराणा तह.रायपुर
9–मोनु पिता प्यारचन्द ना.बा.बे.वि. जरिये नन्दलाल आत्मज गुलाब कलाल नि.बोराणा तह. रायपुर

वादीगण

बनाम

1–भंवरलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–बाबुलाल पिता कस्तुर चन्द कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1–सुनिल कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर
2/2–राजेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल कलाल निवासी रायपुर तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3–पुष्पादेवी पत्नि बाबु लाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4–यश पिता गणपतलाल ना.बा.बे.वि. जरिये माता रेखा पत्नि गणपत लाल नि.रायपुर तह. रायपुर
2/5–भाविका पुत्री गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/6–रेखा पत्नि गणपतलाल टांक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–कंचनबाई पत्नि रामचन्द्र टांक निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसंमद
4–शांतादेवी पत्नि बालस्वरूप टांक निवासी रायला जिला भीलवाड़ा
5–संतोषदेवी पत्नि अम्बालाल टांक निवासी कलाल वाटिका, राजनगर जिला राजसंमद
6–मुन्नीदेवी पत्नि मांगीलाल टांक निवासी रलवे स्टेशन कांकरोली जिला राजंसमद
7–बाबुलाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–शोभालाल पिता सोहनलाल कलाल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् रेकार्ड और मौके के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 31.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:32:38 IST
Reason: SelfAttested

31.05.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा